भारतीय संस्थाओं के लिए विदेशी दान

501. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी भारतीय संस्थाओं को 1995-96 और 1996-97 के दौरान विदेशों से दान, अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) इन संस्थाओं को प्राप्त हुई धनराशि का स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई मामलों में इस प्रकार से प्राप्त हुई धनराशि का आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया गया है; और

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि इन निधियों का दुरुपयोग न हो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम रखने वाली एसोसियशनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पहले पंजीकरण करवाना अथवा इसके लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। इस प्रकार से पंजीकृत अथवा अनुमति प्राप्त एसोसियशनों को विनियमित प्रपत्र में अपना वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है जिसमें विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और इस्तेमाल संबंधी ब्यौरे देने होते हैं। इन एसोसियशनों से मिली सूचना के आधार पर सरकार द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाली एसोसियशनों, विदेशी अभिदाय प्रदान करने वाले बड़े अभिदाताओं तथा राष्ट्रों के नाम होते हैं। इस रिपोर्ट में विदेशी अभिदाय की राज्य-वार प्राप्ति के ब्यौरे भी दर्शाए जाते हैं। वर्ष 1994-95 की रिपोर्ट पहले ही संसद की लाईब्रेरी में रखी जा चुकी है। 1995-96 की वार्षिक रिपोर्ट संकलित की जा रही है। वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाली एसोसिएशनों से आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर यथासमय तैयार की जाएगी।

इस आशय की समय-समय पर रिपोर्टें मिलती रही हैं कि विभिन्न अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों को गुप्त चैनलों से कानून का उल्लंघन करते हुए, अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है। सरकार और सभी सुरक्षा और प्रवर्तन एजेन्सियां, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ निरन्तर सतर्कता रखकर पूछताछ और जांच-पड़ताल करके तथा अभियान चला कर इस प्रकार की संभावनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा घुसपैठ

502. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1996 से कितने पाकिस्तानी नागरिकों को देश में घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है;

(ख) मुठभेड़ों में मारे गये घुसपैठियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन मुठभेड़ों में मारे गये भारतीय सेना और अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों की संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) 1 जनवरी, 1996 से देश से घुसपैठ करते समय देश की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाओं पर 225 पाकिस्तानी नागरिक/उग्रवादी पकड़े गए हैं।

(ख) पश्चिमी सीमा से घुसपैठ करते समय मुठभेड़ों में 262 घुसपैठिये भी मारे जा चुके हैं।

(ग) भारतीय सेना के 14 जवान मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं।

Increasing Cases of Thefts in Saraswati Vihar, Delhi

503. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government have been drawn to news reports about the large number of cases of thefts in Saraswati Vihar;

(b) if so, the action taken by Government to check the increasing cases of thefts in Delhi making the lives of the people miserable; and

(c) the number of cases of thefts that have come to light during 1996 and the number of thieves apprehended till now?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) The Government have seen a press report to this effect.